

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2021-417Ju2021-226 Girdhariram ors Vs TDR Bap

01. गिरधारीराम पुत्र श्री अमोलकराम
02. बुद्धाराम पुत्र गिरधारीराम  
जातियान् मेघवाल, निवासीगण- नूरे की भुर्ज, तहसील बाप,  
जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स...

ब  
ना  
म

01. श्रीमान तहसीलदार बाप, जिला फलोदी।



रेस्पों. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी  
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप  
दिनांक 30 दिसंबर 2020 राजस्व वाद संख्या  
123/2020 गिरधारीराम व अन्य बनाम तहसीलदार  
बाप

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री एल.डी. खत्री, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स  
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक .: 17 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड  
अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 123/2020 गिरधारीराम व अन्य  
बनाम तहसीलदार बाप में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30 दिसंबर  
2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 22 दिसंबर 2021 को  
प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम  
प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन  
किया।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का पेश किया कि गांव नूरे की भूर्ज, तहसील बाप में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 342 कुल रकबा 276.04 बीघा में से सलंगन नजरी नक्शा अनुसार 50 बीघा भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। उपरोक्त वाद में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार की तरफ से जवाब दावा पेश नहीं कर आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

वहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री व निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि उसके द्वारा वाद व दस्तावेजो का अवलोकन कर आदेश पारित किया गया है, जबकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के समय मात्र वाद में अंकित तथ्यों को ही पढा जा सकता है। दस्तावेजो के अवलोकन नहीं किया जा सकता है। इस कारण आलौच्य निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में सरकारी नहर के पानी से अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर सिंचाई कर रहा है, जिसकी पुष्टि सिंचाई विभाग की रसीद से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का अवलोकन किये बिना ही कि वाद किस विधि



से बाधित है तथा वाद अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के किस प्रावधान के तहत खारिज किया गया है, का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे भी स्पष्ट होता है कि आलौच्य निर्णय एवं डिक्री बिना किसी न्यायिक दिमाग का प्रयोग किये पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। धारा 88 के तहत एक खातेदार राज्य सरकार के विरुद्ध भी वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा ऐसे वाद में सीपीसी के आदेश 18 से 22 की पालना करते हुए अर्थात् जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात बनाकर साक्ष्य लेकर मामले का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा नियमित वाद को विधि-विरुद्ध तरीके से प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया गया है। कानूनन ऐसे वाद को प्रारम्भिक स्तर खारिज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय व डिक्री में यह बताये बिना आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है कि वाद विधि विधि वर्जित है, परन्तु बिना किसी विधि की व्याख्या किये आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिस वाद हेतु कोई समय सीमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तय नहीं की गई है। इस कारण वाद अन्दर म्याद प्रस्तुत किया गया है तथा एडवर्स पजेशन का बिंदु साक्ष्य से ही तय किया जा सकता है। इस कारण भी आलौच्य आदेश अपास्त योग्य है। अगर वाद में तनकीयात कायम की जाती, साक्ष्य ली जाती तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये जाते तो वादी का वाद अवश्य ही स्वीकार करने काबिल था। किसी भी न्यायालय की यह मंशा नहीं होनी चाहिए कि एक नियमित वाद को सरसरी दृष्टि से एक प्रार्थना पत्र के जरिये खारिज कर दे। उपरोक्त दृष्टि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। वादी अपने दावे को दस्तावेजी एवं जबानी शहादत से बखुबी साबित कर देते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को बिना कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही वाद को



राजस्थान उच्च न्यायालय  
जोधपुर

खारिज कर दिया गया, जबकि वादी का दावा हर सुरत में डिक्री किय जाना चाहिए था।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जिसे म्याद के बिंदु की कानूनी जानकारी नहीं है। अपीलांट्स को उनके अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जब गवाही शुरू होगी, उसे बुला लिया जावेगा। हाल ही में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.12.2021 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता से ज्ञात हुआ कि वाद खारिज कर दिया गया है। तब वादी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 30. 12.2021 को नकल प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलांट को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादी के वाद में तनकीयात कायम की जाकर बाद साक्ष्य सुनवाई मामले का गुणावगुण पर पुनः निर्णय किया जावें।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अपीलांट्स के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाकर उन्हें वेदखल किया गया है। सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर


विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आघोपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलं का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण के वाद को सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादीगण को दिया जाना विधिसम्मत नहीं मानकर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया। आदेश 07 नियम 11 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि न्यायालय द्वारा वाद पत्र को आदेश 07 नियम 11 पर खारिज किया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 पर निर्णय से पहले कानूनी विवाघक कायम किया जावे तथा उभय पक्ष को उक्त विवाघक के समर्थन में साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिसम्मत निर्णय किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर वाद विचारण प्रक्रिया के तहत बिना तनकीयात कायम किये तथा वादीगण का सुनवाई का अवसर प्रदान वाद खारिज किया जाना पाया जाता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप अपीलांट्स अवसर प्रदान



  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 जोधपुर

किये बिना, बिना तनकीयात कायम किये, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का तर्कसंगत, विधिसम्मत: एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 123/2020 गिरधारीराम व अन्य बनाम तहसीलदार बाप में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 दिसंबर 2020 खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर, पक्षकारान को विधिवत साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जावे और इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत का तर्कसंगत, विधिसम्मत: एवं न्यायोचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार निष्कर्ष पारित कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्णोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर